

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 84/2026**

SUYASH KUMAR MISHRA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 25 IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 04.02.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 11.02.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 17.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE FIRE RISK ZONATION MAP OF BAGHPAT FOREST DIVISION IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	

5.	A COPY OF THE UTTAR PRADESH FOREST FIRE ACTION PLAN IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE LETTER DATED 18.02.2021 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE STATEMENT CONTAINING DETAILS OF FOREST FIRE INCIDENTS AND AFFECTED AREAS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF THE FINANCIAL PROGRESS/EXPENDITURE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 22.04.2026

Place: NOIDA

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 84/2026**

SUYASH KUMAR MISHRA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(S)

**RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 25 IN COMPLIANCE
WITH ORDER DATED 04.02.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL**

BACKGROUND OF THE MATTER

1. That, in the present Original Application, the applicant has raised grievances regarding the rapid increase in incidents of forest fires across India, including fires affecting ecologically fragile regions such as the Himalayan ecosystems and the Western Ghats. It has been alleged that such forest fires result in serious environmental degradation, loss of biodiversity, destruction of forest carbon sinks, damage to soil and watershed systems, air pollution, and increased climate vulnerability.
2. That, the matter was last listed for hearing on **04.02.2026**, wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

“...4. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. List on 23.04.2026...”

REPLY IS AS FOLLOWS

3. That, the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, vide letter no. **2030/6-E-2 (NGT)** dated **11.02.2026**, directed the concerned officials to ensure timely compliance with the directions of the Hon’ble Tribunal in their true letter and spirit and to intimate the PCCF regarding the action taken in that regard.

A copy of the letter dated 11.02.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

4. That, the Additional Principal Chief Conservator of Forests, Planning and Agro Forestry, Lucknow, vide letter no. **P-782/36-T-311-(Forest Fire)** dated **08.04.2026**, and the Chief Conservator of Forests, Prachar Prasar, vide letter no. **701/26-10-2** dated **25.03.2026**, informed the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, regarding the action taken in compliance with the directions of the Hon’ble Tribunal. **It is further submitted that, on the basis of the information received through the**

aforesaid letters, the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh & Head of Department, vide letter no. 2629/6E2-(NGT) dated 17.04.2026, disseminated consolidated information regarding the action taken in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the letter dated 17.04.2026 is annexed herewith and marked as *Annexure-2*.

5. That, vide letter dated **17.04.2026**, mentioned in the para above, it has been informed that **after identification of forest areas which are susceptible to forest fires throughout the State of Uttar Pradesh, Fire Risk Zonation Maps have been prepared at divisional levels.** It is most respectfully submitted that for the ready reference of the Hon'ble Tribunal, the Fire Risk Zonation Map pertaining to Baghpat Forest Division, Uttar Pradesh is being placed on record.

A copy of the Fire Risk Zonation Map of Baghpat Forest Division is annexed herewith and marked as *Annexure-3*.

6. That, it has further been informed vide letter dated **17.04.2026** that, **on the basis of the divisional level Fire Risk Zonation Maps, the Uttar Pradesh Forest Fire Action Plan has been prepared at the State Level for effective management, prevention and control of forest fires across the State.**

A copy of the Uttar Pradesh Forest Fire Action Plan is annexed herewith and marked as *Annexure-4*.

7. That, it has further been informed that, in consonance with the Uttar Pradesh Forest Fire Action Plan, **the concerned Divisional Forest Officers have been directed to organise awareness programmes, training programmes and pre-fire season workshops from time to time in their respective forest divisions for prevention and control of forest fires.** It has also been informed that, for instance, in this regard, **since Dudhwa National Park, Palia, Lakhimpur Kheri is a fire-prone forest area,** the Chief Conservator of Forests, Prachar Prasar, Uttar Pradesh, Lucknow, vide letter no. **899/26-10-2** dated **18.02.2021**, directed the Deputy Director, Dudhwa National Park, Palia, Lakhimpur Kheri, to educate, train and make aware local villagers regarding prevention of forest fires and to organise a workshop in coordination with various departments, ensuring participation of forest personnel, villagers residing near forest areas, forest-dependent persons and other local residents.

A copy of the letter dated 18.02.2021 is annexed herewith and marked as *Annexure-5*.

8. That, the details of forest fire incidents and affected areas (in hectares) in the State of Uttar Pradesh for the last six years, i.e., from 2021 to 2025, are as mentioned in the table below:

Year	Fire Incidents	Affected Area (Ha)
2021	1,904	977.350
2022	2,890	1,241.052
2023	1,088	655.173
2024	1,550	569.948
2025	781	336.959
Total	8,213	3,780.482

A copy of the statement containing details of forest fire incidents and affected areas is annexed herewith and marked as *Annexure-6*.

9. That, it has further been informed that, in terms of the Uttar Pradesh Forest Fire Action Plan, Forest Fire Control Rooms have been established in all forest divisions, circles and zones of the State. It has further been informed that a Forest Fire Master Control Room has been established at the headquarters, which monitors the functioning of such control rooms round the clock. It has also been informed that **116 control rooms are presently functional across the State on a 24-hour basis.**

10. That, the financial progress/expenditure report relating to purchase of fire-fighting equipment, construction of water management structures, watch towers and allied works under various schemes, including the Forest Fire Prevention and Management Scheme (F.P.M.S.) for **the years 2023-2024 (Rs. 40.14 lacs expenditure) and 2025-2026 (Rs. 90.76 lacs expenditure)**, are being enclosed for the kind reference of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the financial progress/expenditure report is annexed herewith and marked as *Annexure-7*.

11. That, hence this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

RESPONDENT

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bpsjadon', with a long horizontal line extending to the right.

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 84/2026



SUYASH KUMAR MISHRA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(S)

I, Rajanikant Mittal, aged about 42 years, S/o Shri Ramesh Chand Gupta, posted as Divisional Forest Officer, Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.
2. That, I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.




Rajen
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Noida on this 22 day of April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to ___ are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Rajeev
DEPONENT



ATTESTED
K.P.S. YADAV
K.P.S. YADAV
NOTARY PUBLIC
Reg. No.-4123

22 APR 2026

PRIORITY

मा० एन०जी०टी० नियत तिथि 08.04.2026 / महत्वपूर्ण / ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
पत्रांक-को०के० १०३० / 6ई-2(एन०जी०टी०), दिनांक, लखनऊ, फरवरी, 11, 2026.

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को मा० एन०जी०टी० में विचारार्थीन ओ०ए० सं०-84/2026 सुयश कुमार मिश्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 (छाया प्रति संलग्न) के समादर में सुनवाई की अग्रिम नियत तिथि 23.04.2026 से पूर्व समुचित अग्रतर आवश्यक विधिक कार्यवाही ससमय संपादित कराने का कट करे। वाद में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ प्रतिवादी सं०-25 नामित हैं। वाद मा० एन०जी०टी० में दिनांक 23.04.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है, अतः आपका विशेष ध्यानाकर्षण व त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ (पर्यवेक्षक अधिकारी)
4. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ (नोडल अधिकारी)
5. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पर्यवेक्षक/नोडल अधिकारी के निर्देशन में विषयगत प्रकरण में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के समादर में सुनवाई की अग्रिम नियत तिथि 23.04.2026 से पूर्व वाद में नामित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ (प्रतिवादी सं०-25) की ओर से समुचित अग्रतर आवश्यक विधिक कार्यवाही ससमय संपादित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- (स्कैन प्रति ई-मेल पर)

Digitally signed by

Pramod Kumar Gupta

Date: 11-02-2026

14:53:51

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या - २०३० तददिनांकित।

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को ओ०ए० सं०-84/2026 सुयश कुमार मिश्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 (छाया प्रति संलग्न) के समादर में सुनवाई की अग्रिम नियत तिथि 23.04.2026 से पूर्व समुचित अग्रतर आवश्यक विधिक कार्यवाही ससमय संपादित कराने हेतु सअनुरोध प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस,
उ०प्र०, लखनऊ।

o/c

Mail done dated 11/02/2026



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-को०के० / 6ई-2 (एन०जी०टी), दिनांक, लखनऊ, अप्रैल, 17, 2026.

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, (नोडल अधिकारी),
मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०सं०.84/2026, सुयश कुमार मिश्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- 1 इस कार्यालय का पत्रांक-को०के०-2030/6ई-2(एन०जी०टी०), दिनांक 11.02.2026.

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-782/36-टी-311(फारेस्ट फायर) दिनांक-08.04.2026.

3.मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ का कार्यालय का पत्रांक-701/26-10-2 दिनांक-25.03.2026.

4.आपके कार्यालय का पत्रांक-3562/35-3, दिनांक 06.04.2026.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त संदर्भित पत्रों (संलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयगत वाद वनाग्नि सम्बंधी राष्ट्रीय कार्य योजना एवं राष्ट्रीय वनाग्नि चेतावनी व नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन आदि से सम्बन्धित है, जिसमें उ०प्र० राज्य की ओर से कोई विशेष टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। विषयगत वाद में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन प्रतिवादी सं०-24 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ प्रतिवादी सं०-25 नामित है।

2.ज्ञातव्य है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र क्रमशः दिनांक 08.04.2026 व 25.03.2026 द्वारा विषयगत वाद से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी बिन्दुवार समेकित सूचना निम्नलिखित है-

1. सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वनाग्नि के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्रों का चिन्हांकन करते हुए, फायर रिस्क जोनेशन मैप की प्रभाग स्तर पर सूचना तैयार करायी गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु बागपत वन प्रभाग, बागपत का फायर रिस्क जोनेशन मैप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक-1)।

2.उ०प्र० में फायर रिस्क जोनेशन मैप की प्रभाग स्तर पर तैयार सूचना पर प्रभावी अग्नि प्रबंधन व नियंत्रण किये जाने हेतु उ०प्र० वनाग्नि कार्य योजना तैयार की गयी है (संलग्नक-2)। उ०प्र० वनाग्नि कार्य योजना के आधार पर सम्पूर्ण उ०प्र० में वनाग्नि की रोकथाम हेतु समय-समय पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रत्येक वन प्रभाग में प्री-फायर सीजन वर्कशाप आयोजित किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपनिदेशक, दुधवा नेशनल पार्क, पलिया, लखीमपुर खीरी को प्री-फायर सीजन वर्कशाप का आयोजन किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ का कार्यालय पत्रांक-899/26-10-2, दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक-3)।

3.उ०प्र० में विगत 6 वर्षों (वर्ष 2021 से 2025 तक) में वनाग्नि से सम्बन्धित घटनाओं व उनसे प्रभावित क्षेत्रों (हे०) का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक-4)।

4.उ०प्र० वनाग्नि कार्य योजना के आधार पर प्रदेश के समस्त प्रभागों, समस्त वृत्तों एवं समस्त मण्डलों में वन अग्नि नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसकी निगरानी मुख्यालय स्तर पर वन अग्नि मास्टर कंट्रोल रूम द्वारा 24 घण्टे की जा रही है। प्रदेश भर में 116 नियंत्रण कक्ष स्थापित है जो 24 घंटे सक्रिय है।

5.फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम(F.P.M.S.) 2023-2024 एवं फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम(F.P.M.S.) 2025-2026 के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय योजनाओं में अग्निशामन उपकरणों की खरीद, जल प्रबंधन सरचना एवं वाच टावर आदि का निर्माण किये जाने हेतु फाइनेन्सियल प्रोग्रेस एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-5)।

तत्क्रम में विषयांकित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त समेकित सूचना/विवरण (बिन्दु सं० 1 से 5 तक) संलग्नक सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि विषयगत वाद में उ०प्र० राज्य/विभाग की ओर से यथावश्यक शपथ-पत्र तैयार कराकर मा० न्यायालय में दाखिल कराना सुनिश्चित करें। वाद मा० एन०जी०टी० में दिनांक 23.04.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता व समयबद्धता अपेक्षित है। प्रकरण में कोई शिथिलता न बरती जायें।

संलग्नक-(स्कैनप्रति ई-मेल पर)

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस,

उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-2629 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-7 को विषयगत वाद में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों दिनांक 08.04.2026 व 25.03.2026 (सलंग्रक सहित छायाप्रति सलंग्र) के क्रम में उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस,
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या-2629 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ (पर्यवेक्षक अधिकारी) को उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में उक्तानुसार समुचित अग्रेतर आवश्यक विधिक कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को विषयांकित प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त समेकित सूचना/विवरण (बिन्दु सं0 1 से 5 तक) सलंग्रक सहित सलंग्र कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पर्यवेक्षक/नोडल अधिकारी के निर्देशन में वाद में आबद्ध श्री भंवरपाल सिंह जादौन, स्टैण्डिंग काउन्सिल, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए, उ0प्र0 राज्य/विभाग की ओर से यथावश्यक शपथ-पत्र तैयार कराकर, मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई की अग्रिम नियत तिथि 23.04.2026 से पूर्व दाखिल करना सुनिश्चित करें। वाद में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन प्रतिवादी सं0-24 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ प्रतिवादी सं0-25 नामित है। साथ ही वाद में सुनवाई की नियत तिथि 23.04.2026 पर प्रभावी पौरवी करते हुए, कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति से शासन/इस कार्यालय को अवगत करायें। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस,
उ0प्र0, लखनऊ






Fire Prone Forest Area of Uttar Pradesh

(Based on GIS analysis of archived forest fire points detected by MODIS in the last thirteen years)



Map Sheet No. 53G12




77°30'0"E 77°35'0"E 77°40'0"E 77°45'0"E

29°10'0"N 29°50'0"N

Map Index

53G07	53G11	53G15
53G08	53G12	53G16
53H05	53H09	53H13



Legend

- place
- +—+— Rail
- Road
- District Boundary
- ▨ Less Fire Prone

उत्तर प्रदेश वन अग्नि कार्ययोजना



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

विवरण

क्रम संख्या	विषय/अध्याय	पृष्ठ सं०
1	उद्देश्य की पूर्ति (Statement of Purpose) (i) प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल (ii) प्रदेश में जून/मण्डल एवं वृत्त (iii) वन प्रभाग/संरक्षित क्षेत्र (iv) प्रदेश में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वन	03-06
2	सामान्य सिद्धांत (General Principles)	07-08
3	अग्नि के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं मानचित्र तैयार किया जाना (Fire Risk Zonation and Mapping) 3.1 जोखिम कारक 3.2 वन नियोजन में अग्नि जोखिम क्षेत्रों का उपयोग	08-10
4	वन अग्नि की रोकथाम (Preventing Forest Fires) 4.1 जागरूकता सृजन के लिए प्रभावी संचार रणनीति 4.2 समुदायों को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना 4.3 समुदाय क्षमता निर्माण	10-12
5	जंगलों की आग की लपटों का बढ़ना (Increasing the Resilience of Forests to Fires) 5.1 वन तल बायोमास प्रबंधन 5.2 विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन	12-13
6	वन अग्नि रोक-थाम सम्बन्धी तैयारी (Forest Fire Preparedness) 6.1 फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन एण्ड अलर्ट 6.2 महत्वपूर्ण संसाधनों और परिसंपत्तियों के स्थान को डिजिटाइज करना 6.3 नियंत्रण दाहन	13-14
7	अग्नि दमन (Fire Suppression) 7.1 अग्निशामकों को लैस करना 7.2 अग्नि प्रवण क्षेत्रों में पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था	14-15
8	अग्नि दुर्घटना के उपरान्त प्रबंधन (Post Fire management) 8.1 जंगल की आग के कारण नुकसान का आँकलन 8.2 कारणों की उचित जांच	16
9	समिति का गठन (Committee Formation)	16

उत्तर प्रदेश वन अग्नि कार्ययोजना

1. उद्देश्य की पूर्ति (Statement of Purpose):-

(i) प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल:-

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 24,093 वर्ग किमी. है। प्रदेश 770.301 से 840.391 पूर्वी देशान्तर तथा 230.521-310.281 अक्षांश के मध्य स्थित है। प्रदेश के क्षेत्रफल को पारिस्थितिकी (इकोलॉजीकल) दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि चार प्रमुख पारितन्त्र (इको सिस्टम) के प्रतिनिधि क्षेत्र उपलब्ध हैं। उत्तर में महाराजगंज, गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत के तराई वन नम जलवायु का पारितन्त्र (स्वाएस्ट इको सिस्टम) है। दक्षिण में एक ओर बुन्देलखण्ड है तथा दूसरी ओर विंध्याचल की पहाड़ियों का शुष्क जलवायु का पारितन्त्र है। मध्य में गंगा-जमुना का विशाल मैदानी क्षेत्र है। पश्चिम में अर्ध मरुस्थलीय पारितन्त्र (सेमी एरिड इको सिस्टम) के वन आगरा एवं इटावा में मिलते हैं। प्रदेश की भूमि तथा जलवायु में बहुत विविधता है। शीतकाल में कम से कम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस व ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जहाँ कुछ क्षेत्रों में 25 सेमी. से कम वर्षा होती है, वहीं कुछ क्षेत्रों में 150 सेमी. से अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में गंगा, यमुना, चम्बल, घाघरा प्रमुख हैं। गंगा-जमुना के मैदान में स्थित मीठे पानी की झीलें प्रवासी पक्षियों एवं कृषि फसलों की जंगली किस्मों के प्रमुख प्राकृतवास हैं। ऐसी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु की विविधता के फलस्वरूप इस प्रदेश की जैविक विविधता का अत्यंत सम्पन्न और समृद्ध होना स्वाभाविक है।

(ii) प्रदेश में जोन/मण्डल एवं वृत्त:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, आगरा मण्डल, आगरा।
4. मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज।
7. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
8. मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक रुहेलखण्ड क्षेत्र, वरेली।
10. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ।

11. मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
12. मुख्य वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर दुधवा, टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
13. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पूर्वी क्षेत्र, गोण्डा।
14. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
15. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
16. वन संरक्षक, देवी पाटन वृत्त,।
17. वन संरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती।
18. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
19. वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
20. वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
21. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
22. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
23. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
24. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
25. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
26. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
27. वन संरक्षक, झांसी वृत्त, झांसी।

(iii) वन प्रभाग/संरक्षित क्षेत्र:-

उत्तर प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश के 16,582 वर्ग किमी. वन क्षेत्र में से लगभग 6317 वर्ग किमी. क्षेत्र में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव विहार स्थापित किए गये हैं। प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 38.1 प्रतिशत तथा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.62 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में वन्य जीवों को समुचित प्राकृतवास एवं संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में हाथी, बाघ, तेंदुआ, बारासिंघा, सांभर, भालू एवं गंगा-जमुना के मैदानी क्षेत्र में प्रवासी पक्षी, नीलगाय, भेड़िया, दक्षिण पठारी भाग में चौंसिंघा, चिंकारा, रीछ तथा शुष्क जलवायु वाले अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में काला हिरण, चीतल, लकड़बग्घा आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। प्रदेश की गंगा, यमुना, चम्बल, गिरवा, घाघरा, गंडक आदि नदियों में मगर, घड़ियाल, ऊदबिलाव तथा सूंस या गैंगेटिक डाल्फिन दिखाई पड़ते हैं।

प्रदेश में जलवायु व भौगोलिक विविधता के कारण ही प्रदेश की पक्षी संख्या भी विविधता से भरपूर है। शीतकाल में स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों के मनमोहक झुण्ड प्रदेश की झीलों का मुख्य आकर्षण हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियों के पक्षी तिब्बत, चीन यूरोप तथा साइबेरिया से हिमालय पर्वत पार कर उत्तर प्रदेश के मैदानी झीलों, नदियों में शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। इनमें कुछ पक्षी 5000 किमी. की दूरी पार कर तथा 8500 मीटर की ऊंचाई तक उड़कर उत्तर प्रदेश में आते हैं।

प्रदेश की भौगोलिक एवं जलवायु की विविधता के कारण यहां अनेकों प्रकार की वनस्पतियों के समूह पाए जाते हैं। साल, शीशम, बीजासाल, खैर, बबूल, बाँस, नरकुल, बेंत, खस, घास तथा दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां बहुलता से मिलती हैं। फलदार पौधों की जंगली किस्मों की प्रचुरता उत्तर प्रदेश के वनों में है। प्रदेश में कृषि फसलों की लगभग 80 प्रजातियों की जंगली किस्में भी पहचानी गयी हैं।

प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष समुदायों की विविधता का अनुमान प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों (प्राकृतवास) से लगाया जा सकता है।

(iv) प्रदेश में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वन:-

- तराई के वन:- ये वन हिमालय के तराई क्षेत्र में सीमित हैं। इनमें मुख्य रूप से साल के शुद्ध विविध पतझड़ वन हैं। इनमें अरुना, धौसी, हल्दी, सेमल, कजू, गुटेल, खैर व शीशम आदि के वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट, सोहेलवा एवं सोहागीबरवा वन्य जीव विहार इस क्षेत्र के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं।
- ऊष्ण शुष्क पतझड़ी वन:- यद्यपि इन वनों में साल भी पाया जाता है, परन्तु अधिकांश खैर, असना, तेंदु करघई तथा सलाई हैं। विन्ध्य क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सागौन भी पाया जाता है। कैमूर, रानीपुर एवं चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार इस क्षेत्र के प्रमुख वन्य जीव विहार हैं।
- ऊष्ण कांटेदार वन:- इस प्रकार के वन प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें खुली गुल्मिकाएं जैसे- बबूल, रिआंजा, छियोंकर, हिंगोट, पीलू आदि हैं। राष्ट्रीय चम्बल वन्य विहार इस क्षेत्र का प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है।
- बुन्देलखण्ड के वन:- इस क्षेत्र में रानीपुर, महावीरस्वामी एवं विजय सागर वन्य जीव विहार प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं।
- गंगा-यमुना मैदान के जलाशय:- गंगा-यमुना के विशाल मैदान में नदियों एवं जलाशयों के किनारे कृषि फसलों की जंगली किस्में पायी जाती हैं। हरितनापुर, पार्वती अरगा, नवाबगंज, समसपुर, सांडी, लाख-बहोसी, सूरसरोवर, पटना, समान वन्य जीव विहार इस प्रकार के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं।

वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव विहारों की सूची निम्नवत है:-

क्र० सं०	जोन का नाम	वृत्त	प्रभाग का नाम								
1.	मध्य क्षेत्र	सरसू वृत्त, फेजाबाद, अयोध्या	1	सुल्तानपुर	9.	रूहेलखण्ड बरेली क्षेत्र	बरेली	49	औरैया (दिवियापुर)		
			2	अमैठी				50	फर्रुखाबाद		
			3	बाराबंकी				51	बरेली		
			4	अयोध्या				52	बदायूं		
			5	अम्बेडकरनगर				53	शाहजहांपुर		
2.	लखनऊ मण्डल	लखनऊ मण्डल	6	गोण्डा			मुरादाबाद			54	पीलीभीत सा०वा०
			7	बहराइच						55	पीलीभीत टागर रिजर्व
			8	श्रावस्ती						56	मुरादाबाद
			9	अवध वन प्रभाग लखनऊ						57	गौमनगर (समल)
			10	रायबरेली						58	जे०पी० नगर (अमरोहा)
			11	सीतापुर						59	रामपुर
			12	उन्नाव						60	नजीबाबाद
			13	हरदोई						61	बिजनौर सा०वा०
			14	उत्तर खीरी						62	मेरठ
			15	दक्षिण खीरी						63	बागपत
3.	पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर	बस्ती	16	बरती	10.	पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ	मेरठ	64	गाजियाबाद		
			17	सन्तकबीर नगर				65	हापुड़ (पंचशीलनगर)		
			18	सिद्धार्थ नगर				66	गौतमबुद्धनगर (नोयडा)		
			19	आजमगढ़				67	बुलन्दशहर		
			20	बलिया				सहारनपुर	68	सहारनपुर	
			21	मऊ					69	शिवालिक वन प्रभाग (सहारनपुर)	
4.	गोरखपुर मण्डल	गोरखपुर मण्डल	22	गोरखपुर	11.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी	झांसी	70	शामली (प्रबुद्धनगर)		
			23	देवरिया				71	मुजफ्फरनगर		
5.	दक्षिण क्षेत्र प्रयागराज	प्रयागराज	24	कुशीनगर (पडरौना)				72	उरई (जालौन)		
			25	प्रयागराज				73	झांसी		
			26	कौशाम्बी				74	ललितपुर		
			27	फतेहपुर				75	बाँदा		
		वाराणसी	28	प्रतापगढ़				76	हमीरपुर		
			29	वाराणसी				77	महोबा		
			30	गाजीपुर				78	चित्रकूट		
			31	जौनपुर				79	पलिया		
6.	मीरजापुर मण्डल	मीरजापुर	32	मीरजापुर	12.	फिल्ड निदेशक, दुधवा, लखीमपुर खीरी		80	कतर्नियाघाट, व०जी०प्र०		
			33	सोनमद्र							
			34	ओबरा							
			35	रेनुकूट							
			36	भदोही							
			37	आगरा							
			38	फिरोजाबाद							
7.	आगरा मण्डल	आगरा	39	मथुरा	13.	वन्य जीव परिचमी क्षेत्र, कानपुर		81	सोहेलवा बलरामपुर		
			40	मैनपुरी				82	सोहागीबरवा, महाराजगंज		
			41	अलीगढ़				83	काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, चन्दीली		
			42	महामायानगर (हाथरस)				84	कैमूर व०जी०प्र०, मिर्जापुर		
		अलीगढ़	43	एटा				85	रा० चम्बल व०जी०प्र०, आगरा		
			44	कासगंज (काशीरामनगर)				14.	प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, लखनऊ	86	तुत्तप्राय व०जी०, परिशोजना
			45	कानपुर							
			8.	कानपुर मण्डल				कानपुर	46	कानपुर देहात (महाबाईनगर)	
47	इटवा										
48	कन्नौज										

2. सामान्य सिद्धांत (General Principles):-

प्रदेश में वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने हेतु रणनीति:-

प्रदेश में वन अग्नि के प्रति संवेदनशील जनपदों-सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, बहराइच, गोण्डा, महाराजगंज, गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, ललितपुर, झाँसी, बाँदा तथा हमीरपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति व ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से वन विभाग, अन्य राजकीय विभागों, संगठनों, स्थानीय जनता व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर, वनों में आग की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार करने एवं समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करना।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गए वन अग्नि के आंकड़े एवं प्रदेश के वनों में विगत वर्षों में घटित अग्नि दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर वन अग्नि के प्रति अति संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील तथा संवेदनशील जनपदों की श्रेणी निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	वन अग्नि के प्रति श्रेणीवार संवेदनशील क्षेत्र	जनपद का नाम
1	अति संवेदनशील	चित्रकूट, सोनभद्र, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज, लखीमपुर-खीरी एवं बलरामपुर
2	मध्यम संवेदनशील	सहारनपुर, बिजनौर, गोण्डा, गोरखपुर, मिर्जापुर, चन्दौली एवं ललितपुर
3	संवेदनशील	बाँदा, हमीरपुर, वाराणसी, झाँसी, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर एवं आगरा

शेष 54 जिलों में अग्नि दुर्घटना यदा-कदा घटित होती हैं। प्रबन्ध योजनाओं के अनुसार निम्न कार्य सामान्तः किये जा रहे हैं:-

- प्रभागों की प्रबन्ध योजनाओं में किए गए प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग द्वारा अग्नि पट्टियों व निर्धारित क्षेत्रों में नियंत्रित फुकान किया जाना।
- वन अग्नि की प्रारम्भ में ही पहचान करने हेतु वाच टॉवर की स्थापना।
- भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रेषित अग्नि घटनाओं के उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का भौतिक सत्यापन, अग्नि प्रबन्धन व नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वेबसाइट में इन आंकड़ों का नियमित रूप से अवलोकन कर उक्त आंकड़ों का भौतिक सत्यापन करना।

- स्थानीय स्तर पर गोष्ठियों व बैठकों का आयोजन कर वन अग्नि से पर्यावरण को होने वाली क्षति के सम्बन्ध में स्थानीय जनता को शिक्षित व जागरूक करना व उसके महत्व के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाना।
- विभिन्न प्रसार माध्यमों का उपयोग कर वनों के समीपवर्ती ग्रामों व कस्बों में अग्नि काल की अवधि व इस अवधि में वन क्षेत्र में प्रतिबन्धित गतिविधियों का व्यापक प्रचार व क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों व निकासी चौकियों पर नोटिस लगाकर अग्नि काल की सूचना व इस अवधि में की जाने वाली सावधानियों का उल्लेख किया जाना।
- कार्ययोजना में उल्लिखित क्षेत्रों में नियंत्रित दाहन व अग्नि रेखाओं का निर्माण व रख-रखाव सुचारु रूप से किया जाना व नियंत्रित दाहन को भूमि प्रबन्ध का उद्देश्य प्राप्त के साधन के रूप में प्रयोग किया जाना।
- वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रयास करना तथा प्रभाग में अग्नि प्रबन्धन के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक, प्रभावी रूप से प्रयोग करना।

प्रयास किये जाये कि वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित न हो पाए। अधिकांश अग्नि दुर्घटनाएं निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट को जलाने से फैलती हैं, अतः कृषकों को कृषि अपशिष्ट जलाने से रोका जाये क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है, इस हेतु प्रचार-साहित्य तैयार कर प्रसारित किया जाये। अग्नि नियंत्रण के प्रयासों के बावजूद अग्नि दुर्घटना घटित होने पर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबन्ध नियमावली के अन्तर्गत गठित समिति Joint Forest Management Committee (JFMC) एवं संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ क्षेत्रों में गठित Eco-development Committee (EDC) के जागरूक नागरिकों तथा स्थानीय जनता का सहयोग लेकर अग्नि पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

वन अग्नि दुर्घटना होने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित वन अग्नि प्रोटोकाल के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अग्नि घटनाओं के प्राथमिक व अंतिम प्रतिवेदनों को निर्धारित प्रारूप में ससमय अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रेषित अग्नि घटनाओं के उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का भौतिक सत्यापन, अग्नि प्रबन्धन व नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वेबसाइट में इन आंकड़ों का नियमित रूप से अवलोकन कर उक्त आंकड़ों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

3. अग्नि के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं मानचित्र तैयार किया जाना (Fire Risk Zonation and Mapping):-

भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, देहरादून से प्राप्त 1:50,000 स्केल पर उत्तर प्रदेश के अग्नि के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्रों के मानचित्र समस्त मुख्य वन संरक्षकों, वन संरक्षकों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को माह अगस्त 2019 (छायाप्रति संलग्न-1) में प्रेषित किये गये। सम्बन्धित वनाधिकारियों द्वारा वन अग्नि के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को अग्नि से बचाने हेतु अग्नि काल के पूर्व

सुरक्षा व बचाव के पर्याप्त उपाय एवं वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के उपचार हेतु कार्य योजना में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना)

3.1 जोखिम कारक:-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477 करोड़ है। प्रदेश में देश की जनसंख्या का 1/6 भाग निवास करता है तथा भूमि का क्षेत्रफल देश के कुल भू-भाग का 1/16 भाग है। गंगा, यमुना का उर्वर मैदान होने एवं वृहद जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर वनों पर अत्यधिक दबाव है। वनों के समीप वन निकटवर्ती ग्रामों के निवासी चारा, ईंधन व अन्य वन उपज की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों पर निर्भर हैं। वनों के अग्नि प्रभावित व संवेदनशील होने का यह एक प्रमुख कारक है।

जहां नियंत्रित दाहन, "वन प्रबन्ध" का एक साधन है, वहीं अनियंत्रित आग "वन प्रबन्ध" में सर्वाधिक बाधक कारक है। ग्रीष्म काल में जब वन सतह का तापमान अधिक व आर्द्रता कम हो जाती है, तब आग लगने की आशंका अधिक प्रबल हो जाती है।

ग्रीष्म काल में वन सतह पर गिरी पड़ी पत्ती व सूखी लकड़ी के रूप में उपलब्ध ज्वलनशील पदार्थ, नमी की मात्रा में कमी व उच्च तापमान के कारण आग की एक चिंगारी मात्र से पूरे वन क्षेत्र में भीषण आग फैलने की आशंका हर समय बनी रहती है।

प्रदेश के वनों में लगने वाली आग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:-

(अ) भूतल की आग: इसे "ग्राउण्ड फायर" के नाम से जाना जाता है। इसमें आग वनों में जमीन की सतह तक ही रहती है।

(ब) ऊपरी छत्र की आग: इसे "क्राउन फायर" के नाम से जाना जाता है। इसमें आग वनों में वृक्षों के ऊपरी छत्र तक पहुंच जाती है।


प्रदेश के वनों में आग लगने के मुख्य कारकों में निम्न परिस्थितियाँ शामिल हैं:-

- वन क्षेत्र से होकर जाने वाले मार्गों से होकर जाने वाले पथिकों व वाहनों के यात्रियों द्वारा सिगरेट/बीड़ी आदि ज्वलन-शील सामग्री फेंकना।
- तापमान की अधिकता।
- वातावरण में नमी में कमी।
- भू क्षेत्र में गिरी पड़ी सूखी पत्ती, लकड़ी आदि।
- वन क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों द्वारा गैर वन उपज का एकत्रीकरण, चराई आदि हेतु वनों में आवागमन।

3.2 वन नियोजन में अग्नि जोखिम क्षेत्रों का उपयोग:-

अग्नि के प्रति संवेदनशील वन प्रभागों की पहचानकर ऐसे वन प्रभागों में अग्नि पट्टियों का रख रखाव/सृजन, वाच टॉवरों का निर्माण एवं वन अग्नि नियंत्रण हेतु उपकरण क्रय करने हेतु बजट आवंटन किया जाना आवश्यक है। वन अग्नि जोखिम क्षेत्रों की मैपिंग कर वार्षिक प्लान ऑफ आपरेशन तैयार करना तथा तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह व वन अग्नि काल में Joint Forest Management Committee (JFMC), Eco-Development Committee (EDC) व स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों व स्थानीय ग्रामवासियों को वनों को अग्नि से बचाने एवं अग्नि दुर्घटना घटित होने पर नियंत्रित करने हेतु प्रशिक्षण व संसाधन उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

4. वन अग्नि की रोकथाम (Preventing Forest Fires):-



जंगल की आग को रोकने एवं वनोपज हेतु वन क्षेत्र पर निर्भर समुदायों को वन क्षेत्रों में अग्नि घटनाओं को घटित होने से रोकने व घटित होने पर उन्हें नियंत्रित करने हेतु स्थानीय संगठनों व निवासियों को प्रशिक्षण व संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रसार साहित्य (छायाप्रति संलग्न-2) के माध्यम से जागरूक किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय पत्रांक-894/26-10-2 दिनांक-17-02-2021 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग को एवं पत्रांक-899/26-10-2 दिनांक-18-02-2021, पत्रांक-900/26-10-2 दिनांक-18-02-2021 एवं पत्रांक-901/26-10-2 दिनांक-18-02-2021 द्वारा क्रमशः उप निदेशक, दुधवा नेशनल पार्क, पलिया, लखीमपुर-खीरी, उ०प्र०, प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, उ०प्र० एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर, उ०प्र० को प्री-फायर सीजन वर्कशाप का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न-3) इस प्रकार प्रत्येक वन प्रभाग में प्री-फायर सीजन वर्कशाप का आयोजन किया जाना आवश्यक है। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

4.1 जागरूकता सृजन के लिए प्रभावी संचार रणनीति:-

वन अग्नि के प्रति संवेदनशील जनपदों में जनपद स्तर एवं स्थानीय स्तर पर गोष्ठियों व बैठकों का आयोजन कर वन अग्नि से पर्यावरण को होने वाली क्षति के सम्बन्ध में स्थानीय जनता को शिक्षित व जागरूकता स्तर में वृद्धि कर वनों की अग्नि से सुरक्षा के साथ ही वन अग्नि प्रबन्धन की आवश्यकता व महत्व के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी रेडियो, टी0वी0, सोशल मीडिया, मोबाइल एप सहित प्रचलित समस्त प्रचार-प्रसार माध्यमों से दिया जाना आवश्यक है।

विभिन्न प्रसार माध्यमों का उपयोग कर वनों के समीपवर्ती ग्रामों व कस्बों में अग्निकाल की अवधि व इस अवधि में वन क्षेत्र में प्रतिबन्धित गतिविधियों का व्यापक प्रचार, वन क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों व निकासी चौकियों पर नोटिस लगाकर अग्निकाल की सूचना एवं इस अवधि में की जाने वाली सावधानियों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए स्थानीय ग्रामवासियों से निम्न-अनुरोध प्रचार माध्यमों से किया जाना आवश्यक है:-

- वन विभाग द्वारा अग्नि पट्टियों व निर्धारित क्षेत्रों में नियंत्रित दाहन क्षेत्र की देख रेख करने।
- आग लगने की सूचना देने व ग्रामवासियों को आग बुझाने हेतु एकत्रित करने के लिए अग्निरक्षक/वनरक्षक को सहयोग प्रदान करने।
- सड़कों के किनारे (वनों के बीच से गुजरने वाली) सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिक चाय बनाने, खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं, उन्हें यह करने से रोकना, ताकि अग्नि निकटवर्ती वन क्षेत्र में न फैले।
- ध्यान रखा जाए कि वनों या उसके आसपास आग न जलाई जाए।
- चरवाहों एवं राहगीरों द्वारा धूम्रपान करने से भी आग लग सकती है। अतः वन क्षेत्र में धूम्रपान न करें और न ज्वलनशील प्रदार्थ पास में रखें।
- वन क्षेत्र से शहद, महुआ के फूल अथवा अन्य किसी गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद के संग्रहण के लिए आग का प्रयोग न करें।
- अवांछनीय व असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर वन क्षेत्र में आग लगाये जाने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए वन विभाग व पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करें।
- वाहनों में सफर करते समय यात्रियों द्वारा धूम्रपान कर लापरवाही से जलती हुई बीड़ी, सिगरेट के टुकड़े व दियासलाई की तीली बाहर फेंकने से आग लग सकती है। अतः यात्रा करते समय ऐसा न करें।
- सभी सावधानियों के बावजूद भी आग लग ही जाए तो इसकी सूचना तत्काल वन विभाग की निकटतम चौकी, वन विभाग के अग्नि नियंत्रण कक्ष अथवा किसी क्षेत्रीय वन कर्मचारी/रेज अधिकारी को देने के साथ ही अग्नि नियंत्रण कार्य में योगदान दें।

4.2 समुदायों को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना:-

- संरक्षित क्षेत्रों-राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव विहारों को अग्नि से बचाने हेतु विशेष संतर्कता की आवश्यकता के दृष्टिगत संरक्षित क्षेत्रों में वन अग्नि नियंत्रण व प्रबन्धन में ईको विकास समितियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- वन अग्नि नियंत्रण व प्रबन्धन में गठित समस्त विभिन्न समितियों यथा 'संयुक्त वन प्रबन्ध' के अन्तर्गत गठित ग्राम वन समिति, ईको विकास समिति, वन विकास अभिकरण व जनपद में अवस्थित अन्य संगठनों से सम्पर्क कर सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या-2070/14-2-96-500(88)1995-टी.सी दिनांक 12-04-1996, एवं 7540/14-2-97-500(88)/95 टी.सी. दिनांक 10-02-1998 का अवलोकन कर वनों में आग की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति बनाने व समस्या के निवारण हेतु, अन्य विभागों स्थानीय जनता व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु, प्रदेश के वन अग्नि संवेदनशील जिलों/ब्लॉकों में गठित, जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना आवश्यक है।
(छायाप्रति संलग्न-4) (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

4.3 समुदाय क्षमता निर्माण:-

समुदाय क्षमता निर्माण हेतु उचित अन्तराल पर प्रशिक्षण स्थानीय स्तर, रेंज कार्यालय स्तर, जिला स्तर पर किया जाना आवश्यक है।(कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

5. जंगलों की आग को बढ़ने से रोकना (Increasing the Resilience of Forests to Fires):-

प्रदेश के वनों में अग्नि दुर्घटना-रोकने हेतु प्रभावी नियंत्रण एवं अग्नि दुर्घटना घटित होने पर तत्काल नियंत्रण कर लेने के कारण, विगत वर्षों में ऊपरी छत्र की आग (Crown Fire) की कोई घटना घटित नहीं हुई है, अग्नि दुर्घटना घटित होने पर उपलब्ध समस्त संसाधनों का उपयोग कर प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।(कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

5.1 वन तल बायोमास प्रबंधन:-

प्रभाग की कार्ययोजना में दिए गए प्राविधानों के अनुरूप 15 फरवरी के पूर्व वन क्षेत्रों में नियन्त्रित दाहन व अग्नि पट्टियों की सफाई की जाये। वन अग्नि के प्रति संवेदनशील जनपदों में विभिन्न विभागों, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों व ग्रामवासियों के साथ अग्नि से वनों की सुरक्षा हेतु रणनीति तैयार कर, स्थानीय निवासियों व स्टेक होल्डर्स का सहयोग प्राप्त किया जाये। स्थानीय ग्रामवासियों की सेवाएं फायर वाचर के रूप में प्राप्त कर वन क्षेत्र को अग्नि से बचाने की दिशा में प्रयास किया जाना आवश्यक है।

5.2 विदेशी प्रजातियों का प्रबन्धन:-

वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली विदेशी प्रजातियों जैसे लेन्टाना, प्रोसोपिस आदि प्रजातियों को हटाया जाना आवश्यक है।

6. वन अग्नि सम्बन्धी तैयारी (Forest Fire Preparedness):-

- वनों को आग से बचाने हेतु मुख्य अरण्यपाल के पत्रांक-जी-3502/13-3 दिनांक 4.4.1973 तथा स्थाई आदेश सं० 8/13-2 दिनांक 10 जून 1980 में दिये गये निर्देशों फारेस्ट मैनुअल (2) 138 (1) में अग्नि मानचित्र के सम्बन्ध में वर्णित कार्यवाही एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णरूपेण पालन किया जाना आवश्यक है। (छायाप्रति संलग्न-5) (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

6.1 फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन एण्ड अलर्ट:-

- प्रभागीय वनाधिकारी, अपने समस्त फील्ड कर्मचारियों एवं निकटवर्ती ग्रामवासियों, स्वम् सेवी कार्यकत्ताओं का भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वेबसाइट में मोबाईल एस०एम०एस० अलर्ट हेतु पंजीकरण करवायें।
- प्रभागीय वनाधिकारियों, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रेषित अग्नि दुर्घटनाओं की सूचना/स्थल एवं भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वेबसाइट www.fsi.nic.in में इस आंकड़ों का नियमित रूप से अवलोकन कर उक्त आंकड़ों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर अपलोड करें।
- राज्य/जोन/वृत्त/प्रभाग स्तर पर 24 घंटे चलने वाले अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायें।
- ग्रीष्म काल में सघन गश्त एवं स्थानीय समुदाय से निरन्तर विचार-विमर्श किया जाये।
- वन विभाग की हेल्पलाइन नम्बर-1926 पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि व जन सामान्य अग्नि की सूचना दे सकते हैं। प्रभागीय वनाधिकारियों हेल्पलाइन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

6.2 महत्वपूर्ण संसाधनों और परिसंपत्तियों के स्थान को डिजिटाइज करना:-

प्रभाग की कार्ययोजना में अग्नि नियंत्रण कार्यवृत्त में वन अग्नि सुरक्षा हेतु उपलब्ध संसाधन जैसे- पानी का टैंकर, फारेस्ट फायर फाइटिंग टूल्स, किट बैग, फायर वीटर, सूती दस्ताना आदि, फायर लाईन्स व वन मार्गों का विवरण आदि अभिलिखित किया जाता है। वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर ये वन मार्ग वाहनों के त्वरित आगमन में सहायक होने के साथ ही अग्नि पट्टी के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। प्रभाग में उपलब्ध समस्त संसाधनों और परिसंपत्तियों का डिजिटाइजेशन किया जाना आवश्यक है। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

6.3 नियंत्रण दाहन:-

कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना में निर्धारित Prescription के अनुसार नए वृक्षारोपण एवं पुनर्जनन वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नियन्त्रित दाहन नियमित रूप से किया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना में वन अग्नि को प्रबन्धन के साधन में उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक दस वर्ष में इन प्राविधानों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है।

आग के प्रसार को रोकने के लिए कुछ स्थानों पर नियन्त्रित दाहन आवश्यक हो सकता है। जहां आवश्यक हो, लगातार प्रदर्शन और नियन्त्रित दाहन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित क्रियाओं की सिफारिश की जाती है:

- अग्नि जोखिम क्षेत्र विश्लेषण के हिस्से के रूप में दाहन पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रों का प्राथमिकताकरण।
- सर्किल स्तर पर नियंत्रण दाहन के प्रदर्शन की निगरानी, और DFO's, CF's एवं CCF's द्वारा बनाए गए डेटाबेस में डेटा की निगरानी का एकीकरण।
- फायर सीजन की शुरुआत से पहले दाहन पर नियंत्रण के लिए समय पर धनराशि जारी करना और आवश्यकतानुसार अग्रिम/तदर्थ धनराशि का प्रावधान।
- नियंत्रण और कन्ट्रोल बर्निंग के लिए राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देशों का विकास अधिसूचित और संशोधित किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

7. अग्नि दमन (Fire Suppression):-

- वन अग्नि काल में राज्य स्तर, जोन स्तर, वृत्त स्तर व प्रभाग स्तर पर 24 घण्टे कार्य करने वाले अग्नि नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। आग बुझाने में आधुनिक संसाधनों के साथ ही पारम्परिक साधनों को भी अपनाया गया है। सूचना मिलने के बाद वन अग्नि पर तत्काल नियंत्रण किया जाये।
- प्रभागीय स्तर पर अग्नि नियंत्रण कक्ष :- प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में एक अग्नि नियंत्रण कक्ष की तत्काल स्थापना किया जाना आवश्यक है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बरों की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तथा अन्य विभागों को दी जायेगी। नियंत्रण कक्ष पर 24 घण्टे कार्य करने के लिए प्रति 8 घण्टे के अनुसार एक कर्मचारी तैनात रहेगा, जो आग की सूचना मिलने पर उसकी प्रविष्टि एक पंजिका में करेगा तथा प्राप्त सूचना पर कृत कार्यवाही की प्रविष्टि भी पूर्व की भांति पंजिका में करेगा। विभिन्न रेंजों से आग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने के लिए पूर्व की भांति पृथक से एक पंजिका रखी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर जनपद स्तर पर उपलब्ध अग्नि शमन यंत्र तथा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से सहयोग प्राप्त किया जाये।
- वृत्त स्तर पर अग्नि नियंत्रण कक्ष :- प्रत्येक वन संरक्षक के कार्यालय में एक अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो कि उक्त की भांति कार्य करेगा। वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि वह प्रभागीय वनाधिकारियों से प्राप्त अग्नि से सम्बन्धित सूचना पूर्व निर्धारित प्रपत्र-2 में अपने जोनल मुख्य वन संरक्षक को प्रतिदिन फैक्स/ई-मेल द्वारा प्रेषित करेंगे। अपने वृत्त के अन्तर्गत अग्नि दुर्घटनाओं के अनुश्रवण करने का पूरा दायित्व वन संरक्षकों का होगा। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

7.1 अग्निशामकों को लैस करना:-

वन अग्नि के प्रति अति संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील, संवेदनशील तथा शेष जनपदों में बजट की उपलब्धता के अनुसार निम्नानुसार प्रविधान किया जाना चाहिए:-

- अग्नि सुरक्षा कार्य में लगे वन कार्मिकों, वन अग्नि श्रमिकों व ग्रामवासियों हेतु अग्नि निरोधी पोशाक की व्यवस्था।
- अग्नि सुरक्षा कार्य में लगे वन कार्मिकों, वन अग्नि श्रमिकों को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराना।
- वन कर्मियों व वन अग्नि श्रमिकों की मोटर साईकिल में 2 किट सीज फायर वाटर मिस्ट कम्प्रेस्ड एयर फोम सिस्टम उपलब्ध कराना।
- ट्रैक्टर माउण्टेबिल टैंकर के साथ उच्च दाब पाईप (Tractor mountable Tanker with high pressure pipe) उपलब्ध कराना।
- फायर लाईन्स का रख रखाव।
- नई फायर लाईन्स के निर्माण।
- वाच टावर का निर्माण।
- पॉण्ड/वाटर होल्स का निर्माण।
- वन मार्गों के रख रखाव।

7.2 अग्नि प्रवण क्षेत्रों में पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था:-

- जिला स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय संरक्षित क्षेत्रों-राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव विहारों को अग्नि से बचाने हेतु विशेष सतर्कता आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों में वन अग्नि नियंत्रण व प्रबन्धन में इको विकास समितियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
- वन अग्नि नियंत्रण व प्रबन्धन में गठित समस्त विभिन्न समितियों यथा 'संयुक्त वन प्रबन्ध' के अन्तर्गत गठित ग्राम वन समिति, इको विकास समिति, वन विकास अभिकरण व जनपद में अवस्थित अन्य संगठनों से सम्पर्क कर सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
- वनों में अग्नि की रोक-थाम के लिए जिला/ब्लाक में गठित जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय समितियों की बैठक माह फरवरी से माह जून तक प्रत्येक वर्ष आयोजित कर समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था की जाये। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

8. अग्नि दुर्घटना के उपरान्त प्रबंधन (Post-Fire management):-

8.1 जंगल की आग के कारण नुकसान का आँकलन:-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना द्वारा वन अग्नि से हुई क्षति के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। क्षति का मूल्यांकन या वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में आगामी वर्षाकाल में पुनर्जनन पुनः प्राप्त होता है तथा अग्नि से प्रभावित पौधे/वृक्षों में नए कल्ले आ जाते हैं। वृक्षारोपण क्षेत्र में क्षति होने की स्थिति में वर्षाकाल में मृत पौधे के स्थान पर नए पौधे रोपित किये जायें।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-05/13-2 (वन अग्नि) दिनांक 03-07-2019 के अनुसार वन अग्नि से वृक्षारोपण व प्राकृतिक वनों को होने वाली क्षति का आँकलन किया जाये। (छायाप्रति संलग्न-6)
- वन अग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार की योजना बनाकर उसे मूल रूप में लाया जाये।
(कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ)

8.2 कारणों की उचित जांच:-

यदि कोई क्षेत्र वन अग्नि से प्रभावित होता है, तो उसके पुनरुद्धार की योजना बनाकर उसे मूल रूप में लाने का निर्देश दिया गया है।-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक-एवं मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आग की घटना के कारणों की ठीक से जांच की जाए और जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्यवाही सहित पर्याप्त उपाय किये जायें। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक)

9. समिति का गठन (Committee Formation):-

शासन की संख्या-233/81-2-2020-148 जी/2016 दिनांक 25-02-2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य वन अग्नि मूल्यांकन समिति का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा 16 संवेदनशील जनपदों में जनपद स्तरीय व विकास खण्ड स्तरीय समिति गठित की गयी। उक्त समिति की बैठकों में अग्नि से बचाव की रणनीति तैयार करने के साथ ही परस्पर समन्वय एवं अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण व सहयोग प्राप्त करने हेतु जागरूकता उत्पन्न की जाये। (कार्यवाही- प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ, निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर)

ANNEXURE-5

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 899 /26-10-2 लखनऊ: दिनांक: फरवरी, 18 2021।

सेवा में,

उप निदेशक,
दुधवा नेशनल पार्क, पलिया,
लखीमपुर खीरी, उ०प्र०।

विषय:- प्री-फायर सीजन वर्कशाप का आयोजन किए जाने के सम्बन्ध में।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से प्राप्त रिपोर्टों एवं विभिन्न वर्षों में आपके द्वारा प्रेषित वन अग्नि दुर्घटना की सूचना से ज्ञात होता है कि आपके प्रभाग वन अग्नि के प्रति संवेदनशील जनपदों में शामिल है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु स्थानीय ग्रामवासियों को शिक्षित, प्रशिक्षित व जागरूक करने एवं विभिन्न विभागों के समन्वय से जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक अथवा मुख्य वन संरक्षक प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन करना, कार्यशाला में वन कर्मी, वन क्षेत्र के समीप रहने वाले एवं वनों पर निर्भर ग्रामवासी व स्थानीय जनता को प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वक्ताओं के रूप में वनाधिकारी, अग्नि शमन अधिकारी तथा राज्य आपदा विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए।

कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त कार्यशाला पर हुए व्यय रु० 20,000.00 की सीमा के अन्तर्गत के बिल बाउचर बैंक डिटेल एवं आयोजित कार्य के फोटोग्राफ उपलब्ध करना सुनिश्चित करें जिससे उक्त का मुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जा सके।

(मुकेश कुमार)

मुख्य वन संरक्षक,

प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ।

सं० 899 / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि:-फील्ड निदेशक, दुधवा, लखीमपुर खीरी, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मुकेश कुमार)

मुख्य वन संरक्षक,

प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ

सं० 899 / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रशासनिक अधिकारी, कार्या० मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ
2. लेखा सहायक कार्या० मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ ।

(मुकेश कुमार)

मुख्य वन संरक्षक,

प्रचार-प्रसार, उ०प्र०, लखनऊ

YEARWISE FOREST FIRE INCIDENTS AND AREA
AFFECTED IN UTTAR PRADESH
(AS PER REPORTS RECIVED FROM DIVISIONS)

YEAR	FIRE INCIDENTS	AFFECTED AREA (In Ha)
2021	1904	977.35
2022	2890	1241.052
2023	1088	655.173
2024	1550	569.948
2025	781	336.959

ANNEXURE-7

Forest Fire Prevention & Management Scheme (F.P.M.S) 2023-24
Work Item wise Physical & Financial Progress Report Against Amount Rs. 73.36 Laks-

Rs. In lakh

S. No.	Items	Unit	Total	
			Quantity	Total cost
1	Creation of fire Line	Km.	4	5
2	Maintenance of existing Firelines-6 Mt. width	Km.		
3	Controlled Burning	Km.	264.17	5.41
4	Creation Of Infrastructure	Ha.		
5	Communication System Development Of Management Information System			
b	Watch Towers	Nos.		
c	Forest Road Maintenance	Nos.		
d	Water Storage Structure	Km.		
e	Control Rooms at Division and Range Level	Nos.	3.00	0.41
f	F.G. barracks and inspection huts	Nos.		
g	Procurement of fire - fighting equipments	Nos.		
h	Procurement of fire vehicles for transportation of resources	Nos.		
i	Soil and moisture conservation (SMC) work in high risk areas	Nos.		
j	Engagement of Fire Watcher	Cum.		
k	Awareness campaign	Mandays	16783.00	31.46
l	Fire Poster	Nos.		
m	Tri Folder- Brochure	Nos.		
n	(iii) Leaflets	Nos.		
10	Pre-fire season workshops for coordination among line departments, elected bodies and NGOs	Nos.		
11	Training and capacity building on fire fighting methods for Frontline Staff, Students, Youths and villagers communities.	Nos.		
12	Monitoring and review (2% of the sanctioned amount shall be kept for this)			
13	Short term research/survey on forest fire related issues. 3% of the sanctioned amount shall be earmarked for this purpose.			0.86
				2.00
	Total:			40.14



(Deepak Kumar)


Additional Principal Chief Conservator of Forests

Plan and Agro Forestry, U. P. Lucknow.

Forest Fire Prevention & Management Scheme (F.P.M.S) 2025-26
 Work Item wise Physical & Financial Progress Report Against Amount Rs. 96.69 Lacs-

Rs. In lakh

S. No.	Items	Unit	Total	
			Quantity	Total cost
1	2	3	4	5
1	Creation of fire Line	Km.		
2	Maintenance of existing Firelines-6 Mt. width	Km.	1060	23.32
3	Controlled Burning	Ha.		
4	Creation Of Infrastructure			
a	Communications System Development Of Management Information System	Nos.		
b	Watch Towers	Nos.	2.00	5.00
c	Forest Road Maintenance	Km.	49.60	4.50
d	Water Storage Structure	Nos.	5.00	2.50
e	Control Rooms at Division and Range Level	Nos.		
f	F.G. barracks and inspection huts	Nos.	9.00	2.50
5	Procurement of fire - fighting equipments	Nos.	LS	19.84
6	Procurement of field vehicles for transportation of resources	Nos.		
7	Soil and moisture conservation (SMC) work in high risk areas	Cum.		
8	Engagement of Fire Watcher	Mandays	10000.00	23.70
9	Awareness campaign	Nos.		
	(i) Poster	Nos.	17000.00	0.50
	(ii) Folder / Brochure	Nos.	42500.00	0.50
	(iii) Leaflets	Nos.	127500.00	0.50
10	Pre-fire season workshops for coordination among line departments, elected bodies and NGOs	Nos.	20.00	2.50
11	Training and capacity building on fire fighting methods for Frontline Staff, Students, Youths and villages communities-	Nos.	0.00	1.00
12	Monitoring and review (2% of the sanctioned amount shall be kept for this)			1.76
13	Short term research/survey on forest fire related issues. 3% of the sanctioned amount shall be earmarked for this purpose.			2.64
	Total:			90.76


(Deepak Kumar)

Additional Principal Chief Conservator of Forests
 Plan and Agro Forestry, U. P. Lucknow.